तुझ बिन नहीं कोई मेरा

मौलाना अब्दुल करीम मुस्लिम

ऐ ख़ालिके हर जिस्म व जाँ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ राज़िक़े हर इन्स व जाँ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ दस्तगीर बे कसाँ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ चा-र-ए- बेचारगाँ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ हाफिज़ व नासिर मेरे तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ हाज़िर व नाज़िर मेरे तुझ बिन नहीं कोई मेरा
तू ही मेरा माबूद है तू ही मेरा मस्जूद है
तू ही मेरा मक़सूद है तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ बादशाहे दो जहाँ तू है पनाहे आसि़याँ
मैं तुझ सिवा जाऊँ कहाँ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ राज़िके बे दस्त व पा मैं हूँ तेरे दर का गदा
रखता हूं तेरा आसरा तुझ बिन नहीं कोई मेरा
ऐ लायक़े हम्द व सना ऐ ला ज़वाल व ला फ़ना
बिगड़ी हुई मेरी बना तुझ बिन नहीं कोई मेरा
याँ पालने वाला कोई और मारने वाला कोई
वाँ बख़्शने वाला कोई तुझ बिन नहीं कोई मेरा
फर्शे ज़मीं से ता फलक और आसमाँ से अर्श तक
देखा उठा कर जब पलक तुझ बिन नहीं कोई मेरा
की दाहिने बायें नज़र पेश व पस ज़ेर व ज़बर
हर सू यही है जलवा गर तुझ बिन नहीं कोई मेरा
तू साहिबे इंआम है इंआम तेरा आम है
वह्हाब तेरा नाम है तुझ बिन नहीं कोई मेरा
तेरा दिया खाता हूं मैं तेरी सना गाता हूं मैं
तेरा ही कहलाता हूं मैं तुझ बिन नहीं कोई मेरा

दीवाने गुलशने हिदायत से **(जारी)**

मासिक

इसलाहे समाज

अक्टूबर 2025 वर्ष 36 अंक 10
रबीउल आख़िर 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- ❑ वार्षिक राशि 100 रुपये
- ❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. तुझ बिन नहीं कोई मेरा 02
2. सोशल मीडिया के नुक्सानात से अवगत करना ज़रूरी है 04
3. प्रेस रिलीज़ (चाँद) 05
4. इस्लाम में मध्यमार्ग की अहमियत 06
5. सूरे फ़ातिहा की खूबियाँ 09
6. इस्लाम में मानवीय अधिकार 12
7. दहेज लेने और देने के हीले व बहाने और उसका अंजाम 14
8. इस्लाम की कसौटी 17
9. इस्लाम से पूर्व अरबों में तलाक़ 18
10. प्रेस रिलीज़ (कार्य समिति) 21
11. प्रेस रिलीज़ (दो दिवसीय प्रतियोगिता) 23
12. प्रेस रिलीज़(प्रतियोगिता का अंतिम सत्र) 25
13. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 27
14. कलैन्डर २०२६ (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

सोशल मीडिया के नुक्सानात से अवगत करना जरूरी है

आज कल सोशल मीडिया ज़िन्दगी का एक भाग बन चुका है, कहा जाता है कि एक बार जो सोशल मीडिया से जुड़ जाता है फिर उससे निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सही अर्थों में सोशल मीडिया का सहीह स्तेमाल कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन के द्वारा नौजवनों को सुधारने का सबब बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का सहीह स्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वह केवल वीडियो, रील और दूसरे रोमानचक मैटेरियल देख कर अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं, उनकी कोई दिशा तय नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है इसकी उपयोगिता बदल रही है जिस तरह से कुछ नकारात्मक रूझान पैदा हो रहे हैं, समाजी दूरी बढ़ रही है, रिश्ते-नाते बिखर रहे हैं, नौजवानों के अन्दर अपने ओलमा से नज़दीक होने के बजाये दूर होते जा रहे हैं, पहले ओलमा से किसी तरह की कोई रहनुमाई लेनी होती थी कोई शरई मसला पूछना होता था तो डायरेक्ट संपर्क करते थे अब सोशल मीडिया पर जा कर सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा है जिस का समाजिक गलत प्रभाव के साथ सही जानकारी न मिलने से शरीअत की गलत व्याख्या और अपनों के साथ गैर लोग भी भ्रमित हो रहे हैं।

अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर अपने फालोवर बढ़ाने के फिराक़ में रहते हैं, इसी तरह लोग अन्तर नहीं कर पाते हैं कि हमें किस से जुड़ना है और किस से दूर रहना है। गलत सूचना देने वालों और गलत मसाइल बताने वालों से जुड़ने का यह अंजाम है कि कुछ वीडियो को देख कर ऐसे लोग शिक्षित लोगों को भी फतवा बताते फिरते हैं। उपर्युक्त में तीन बातों की तरफ इशारा किया गया है जिस से पता चलता है कि सोशल मीडिया से हर किसी के जुड़ने के सबब कितनी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं।

सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद समाजी तौर पर ओलमा, और घर परिवार से दूर होने के बड़े नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के नकारात्मक स्तेमाल के आदी हो चुके हैं वह स्वयं तो हानि उठा रहा है इसका गलत प्रभाव घर खानदान पर भी पड़ रहा है।

वह नौजवान जो सोशल मीडिया पर आई डी बना कर बिला वजह घन्टों घन्टों सक्रिय रहते हैं, वह गलत मालूमात मिलने के सबब भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षित करने और बताने की ज़रूरत है, इसका सबसे बुरा परिणाम यह है कि ऐसे नौजवान फराइज़ से गाफ़िल और दूर हो रहे हैं, इसी तरह की गफलत शिक्षित लोगों में भी पनप रही है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे नौजवानों को सोशल मीडिया

के नुक़सानात से आगाह किया जाये। देश के विभिन्न भागों में सीरत पर, शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, दहेज पर, शादी विवाह पर, जलसे जुलूस होते रहते हैं, जल्से के प्रबन्धकों को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के नुक्सानात पर प्रोग्राम आयोजित करें। ओलमा, अइम्मा, मदारिस के जिम्मेदारान इस संबन्ध में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, विशेष रूप से अइम्मा हज़रात जुमा के खुतबे और हफतावारी प्रोग्रामों में सोशल मीडिया के नुक्सानात को अपने खुतबे का शीर्षक बनायें ताकि सोशल मीडिया के नकारात्मक सैलाब को रोका जा सके। सोशल मीडिया के नुक्सानात से अवगत कराना समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के बजाये अधिकतर लोग अपनी एनर्जी और वक़्त बर्बाद कर रहे हैं जबकि दोनों की हिफाज़त करनी ज़रूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उपर्युक्त समस्याओं के अलावा भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनको रोकना आसान नहीं होगा। घरेलू स्तर पर भी कुछ उपाय किये जा सकते हैं। सबसे पहले माँ बाप को स्मार्ट मोबाइल के गलत स्तेमाल पर ध्यान देना होगा। घर के सरपरस्तों को भी मोबाइल के स्तेमाल को सीमित करते हुए अधिक से अधिक दूर रहने का प्रयास होना चाहिये। आम तौर से देखा जाता है कि कुछ माँ-बाप इतने लापरवाह और आराम पसन्द होते हैं कि छोटे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिये बिना देर किये छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, यहीं से आदत बिगड़नी शुरू होती है फिर आगे चल कर सोशल मीडिया पर बर्बादी का दौर शुरू होता है। अभी हम लोग सोशल मीडिया के नकारात्मक परिणाम को बहुत मामूली समझ रहे हैं जबकि अगर इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो इसके खतरात और नुकसानात को रोकना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जायेगा।

अभी जो लोग इस चरण में नहीं पहुंचे हैं उनको अपने बच्चों को और इमामों द्वारा अवाम को सावधान करने और सोशल मीडिया को गलत स्तेमाल से बचाने के लिये बहुत ही सावधानी बरतनी होगी।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

रबीउल आख़िर १४४७ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, २२ सितम्बर २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ रबीउल अव्वल १४४७ हिजरी अर्थात २२ सितंबर २०२५ सोमवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक ३० सितंबर २०२५ मंगलवार के दिन रबीउल आख़िर की ३०वीं तारीख होगी।

इस्लाम में मध्यमार्ग की अहमियत

प्रो०डॉ० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

इबादत में मध्यमार्ग अपनाना

अल्लाह ने मनुष्य को अपनी बन्दगी के लिए पैदा किया है। कुरआन में है-

''मैंने जिन्नों और इनसानों को इसलिए पैदा किया कि वे केवल मेरी ही बन्दगी करें।'' (सूरे-५१, अज़-जारियात, आयत-५६)

अर्थात किसी और की बन्दगी के लिए नहीं पैदा किया। यहां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह की यह इच्छा नैसर्गिक है कि बन्दों से अपनी इबादत चाहता है। इसका सम्बन्ध बलात इच्छा से नहीं है, क्योंकि अगर यह बलात् इच्छा होती तो उसकी बन्दगी करना तथा उसके आज्ञा पालन के लिए विवश हो जाना पड़ता, जैसे फरिश्तों के विषय में आया है-

''ऐ ईमान वालो! तुम स्वयं अपने को तथा अपने परिवार को उस आग से बचाओ, जिसका ईंधन मनुष्य तथा पत्थर होंगे। जिस पर कठोर हृदय वाले शक्तिशाली फ़रिश्ते नियुक्त हैं, जो अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते, और उनको जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करते हैं।'' (सूरा-६६, अत-तहरीम, आयत-६)

क्योंकि अल्लाह की बलात इच्छा पूरी हो कर रहती है।

''वह आकाशों तथा धरती का सृष्टिकर्ता है यह जिस कार्य का निणर्य करता है कह देता है, हो जा, वह जो जाता है।'' (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-११७)

परन्तु उसने अपनी इच्छा के पालन में मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, और इसी स्वतंत्रता के कारण क़ियामत में उसका हिसाब होगा।

चूंकि मनुष्य को इस संसर का निर्माण भी करना है, इसलिए अल्लाह ने उससे अपनी बन्दगी अपनी इच्छानुसार चाही, और हद से बढ़ने से मना किया।

''रहा सन्यास, तो उसे उन्होंने स्वयं घड़ा था। हमने उसे उनके लिए अनिवार्य नहीं किया था, यदि अनिवार्य की थी तो केवल अल्लाह की प्रसन्ता की चाहत। फिर वे उसका निर्वाह न कर सके, जैसा कि उसका निर्वाह करना चाहिए था। (सूरा-५७, अल-हदीद, आयत-२७)

इसलिए इस्लाम ने जहां दूसरे आदेशों में मध्यमार्ग को अपनाए रखा है, वहीं अल्लाह की इबादत में भी वह उसी को अपनाने का आदेश देता है।

एक सहीह हदीस में आया है।

''तीन व्यक्ति नबी स० के घर आए। उन्होंने नबी स० की इबादत के विषय में पूछा। जो उनको बताया गया उन्होंने उसे बहुत कम समझा और कहा, ''हम नबी स० की श्रेणी तक कैसे पहुंच सकते हैं। अल्लाह ने तो आप स० के पिछले और भविष्य में होने वाले सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। फिर उनमें से एक ने कहा, मैं तो सदैव पूरी रात नमाज़ पढ़ूंगा। दूसरे कहा, ''मैं सदैव रोज़े (उपवास) रखूंगा।'' तीसरे ने कहा, ''मैं स्त्रियों से दूर रहूंगा, कभी

विवाह नहीं करूंगा।''

जब नबी स० घर आए और आप को उनकी बातों की सूचना दी गई तो आप स० ने फरमाया। क्या तुम लोगों ने ऐसा-ऐसा कहा? अल्लाह की क़सम में तुममें सबसे अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं, लेकिन मैं रोज़े (उपवास) भी रखता हूं और छोड़ भी देता हूं। रात में नमाज़ें भी पढ़ता हूं, और सोता भी हूं और विवाह भी करता हूं, तो जो मेरे मार्ग से हटेगा वह हम में से नहीं। (बुखारी, ५०६३ तथा मुस्लिम १४०१)

जीवन व्यवहार में मध्यमार्ग पर चलना :

१. खाने-पीने में मध्यमार्ग अपनाना

कुरआन में है:

''ऐ आदम की संतान! इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपनी शोभा का वस्त्र धारण करो, और खाओ और पियो, परन्तु हद से आगे न बढ़ो, निस्सन्देह अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों से प्रेम नहीं करता। (सूरे-७, अल-आराफ़, आयत-३१)

जब ये (पेड़) फलें तो इनका फल खाओ, और फ़सल की कटाई के दिन इसका हक़ अदा करो। और हद से आगे न बढ़ो, निस्सन्देह वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता। (सूरा-६, अल-अनूआम, आयत-१४१)

२. दान-पुण्य में मध्यमार्ग

''जो ख़र्च करते हैं तो न हद से बढ़ जाते हैं, और न तंगी से काम लेते हैं। बल्कि दोनों के बीच मध्यमार्ग पर रहते हैं।'' (सूरा-२५, अल-फ़ुरक़ान, आयत-६७)

अल्लाह के आदेश के अनुसार अल्लाह के मार्ग में खर्च करना उत्तम है, परन्तु हद से बढ़ जाने में असंख्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी की ओर एक दूसरे स्थान पर इस प्रकार कहा गया है।

''अपना हाथ न तो अपनी गरदन से बांधे रखो (कि किसी को कुछ न दो) और न उसे बिलकुल खुला छोड़ दो, जिसके कारण निन्दित और पछताते हुए बैठ जाओ।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-२६)

३. बदला लेने में मध्यमार्ग

''बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, परन्तु जो क्षमा कर दे और समझौता कर ले, तो उसका बदला अल्लाह देगा। निस्संदेह वह अत्याचारियों को पसन्द नहीं करता। (सूरा-४२, अश-शूरा, आयत-४०)

अर्थात अगर किसी पर अत्याचार किया गया हो तो उसको अनुमति है कि उसका बदला ले, परन्तु इसमें हद से नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मध्यमार्ग अपनाते हुए उस पर जितना अत्याचार किया गया है उतना ही बदला ले, और अगर क्षमा कर दे तो यह बहुत ही अच्छा है।

''यदि तुम बदला लो तो बिलकुल उतना ही जिनता तुम्हें कष्ट पहुंचा हो। परन्तु यदि धैर्य रखो तो निश्चय ही धैर्यवानों के लिए ज़्यादा अच्छा है। (अन-नहल, आयत-१२६)

अर्थात तुम पर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला ले सकते हो, परन्तु उतना ही जितना तुम्हें कष्ट पहुंचाया गया। अगर तुम ने उससे अधिक बदला लिया तो तुम अत्याचारी बन जाओगे।

यह प्राचीनकाल के बदलों की ओर संकेत है। जो एक के बदले दस या उससे अधिक लोगों को

मारते थे।

एक दूसरे स्थान पर आया है।

''जो व्यक्ति निर्दोष मारा जाए, हमने उसके उत्तराधिकारी को अधिकार दिया है (कि वह बदला ले), परन्तु उसे चाहिए कि हत्या करने में हद से न बढ़े। निस्सन्देह उसकी सहायता की जाएगी।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-३३)

अर्थात एक के स्थान पर दो-तीन या दस-दस लोगों को क़त्ल न करे और न ही यातना दे, और सर्वोत्तम बात तो यह है कि क्षमा कर दे, या समझौता कर ले। यही मध्यमार्ग है।

४. ग़ैर-मुस्लिमों के साथ मध्यम व्यवहार-

इस्लाम शान्ति प्रदान करने वाला धर्म है। इसी लिए अल्लाह ने मुहम्मद स० को रहमतुल्लिल आलमीन (सारे संसार के लिए दयानिधि) बनाकर भेजा। आप स० ने मक्का विजय होने के बाद अपने उन शत्रुओं को भी माफ़ कर दिया जो आपको क़त्ल करने का षड़यंत्र रच रहे थे और जिनके कारण आपको मक्का से हिजरत (देश-त्याग) करनी पड़ी। आप स० ने एक से अधिक अवसरों पर अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया, जिससे आपके जीवन चरित्र की महानता के रूप को देखा जा सकता है।

कुरआन भी इस बात की पुष्टि करता है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए।

''जिन लोगों ने तुम से धर्म के विषय में युद्ध नहीं किया तथा तुम्हें देश से नहीं निकाला उनके साथ अच्छा व्यवहार करने, और उनके साथ न्याय करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है। (सूरा-६०, अल-मुम्तहिना, आयत-८)

यहां तक कि अगर कोई मुसलमान हो जाए और उसके माता-पिता विधर्मी ही रह जाएं तो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश है।

यदि वे तुझ पर दबाव डालें कि तू किसी को मेरा साझी बना, जिसका तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं तो उनका कहना न मानना, और दुनिया में उनके संग अच्छा व्यवहार करना'' (सूरा-३१, लुक़मान, आयत-१५)

सार यह कि न तो सारे ग़ैर मुस्लिम हमारे शत्रु हैं, न हम उनके शत्रु हैं, बल्कि वे तो इस्लामी संदेश के प्रथम संबोधित हैं, और हम पर यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन तक सही इस्लामी संदेश पहुंचाएं।

''निस्सन्देह अल्लाह न्याय और भलाई करने, और नातेदारों को (उनका हक) देने का हुक्म देता है। और निर्लज्जता के कर्मों तथा बुराई और सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें सदुपदेश देता है, ताकि तुम ध्यान दो'' (सूरा-१६, अन-नह्ल, आयत-९०)

इस प्रकार इस्लाम जीवन के हर क्षेत्र में मध्यमार्ग अपनाने का आदेश देता है और इससे इतर मार्ग को अपनाने से कठोरता से मना करता है, ताकि एक ऐसे समाज का निमार्ण किया जा सके, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम और स्वंय मुस्लिम समुदाय के सभी लोग मिल-जुलकर जीवन व्यतीत कर सकें, और किसी को किसी से भय न हो।

इसलिए हर मुसलमान पर अनिवार्य है कि इस मध्यमार्ग को अपनाए, ताकि दसूरों के लिए इस्लाम का उत्तम आदर्श बन सके।

सूरे फातिहा की खूबियाँ

कुरआन में अल्लाह फरमाता है:

१. सब तारीफें अल्लाह के लिये हैं जो सब जहान वालों का पर्वरिश करने वाला है, २. बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ३. क़ियामत के दिन का मालिक भी वही है ४. ऐ हमारे मेहरबान मौला हम तेरी ही अिबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं दीन में हमें सीधी राह पर पहुंचा ५. उन बुजुर्गों की राह पर पहुंचा जिन पर तूने उनकी दीन दारी की वजह से बड़े-बड़े इनाम किये, ७. न उन बेईमान लोगों की जिन पर उनकी बद अमली के कारण गज़ब किया गया और न उल लोगों की, जो अपनी नासमझी की वजह से गुमराह हैं

इस सूरः के बारे में: यह मुबारक सूरः मक्का शरीफ में उतरी (फत्हुल-बयान)। कुरआन मजीद में सूरतों की अहम तक़्सीम नाज़िल होने के ज़माना के लिहाज़ से की गई है। जो सूरतें हिजरत से पहले नाज़िल हुयीं, चाहे वह मक्का शरीफ से बाहर ही नाज़िल हुयी हों, सब मक्की ही कहलाती हैं। और जो सूरतें नबी करीम स० के हिजरत करने के पश्चात जब कि आप स० मक्का शरीफ से हिजरत फरमा कर मदीना के मुनव्वरा तशरीफ ले गये, नाज़िल हुयीं, वह मदनी कहलाती हैं। चाहे वह सूरतें मदीना शरीफ़ की सीमा से बाहर ही नाज़िल हुयी हों।

इस मुबारक सूर के बारे में बुखारी शरीफ में है कि इसको उम्मुल किताब इसलिये कहा जाता है कि यह कुरआन मजीद में सबसे पहले लिखी गयी है और नमाज़ में भी सबसे पूर्व इसी सूर की क़िरात होती है। (बुखारी शरीफ २/६४२)

फातिहा का लफ्ज़ी अर्थ शुरू करने वाली है। यह कुरआन पाक का गोया दीबाचा (भूमिका) है जिससे कुरआन शुरू होता है। इमाम तिर्मिज़ी ने नबी करीम स० से नकल किया है कि इस सूर जैसा बर्कत वाला कलाम न तौरात में है और न ही इन्जील में, न ही किसी और आसमानी किताब में नाज़िल हुआ। यही वह अजीम है जो आप स० को अल्लाह ने दिया है। (सनाई)

इसको सूरः सलात भी कहा गया है, जैसा कि हदीसे कुदसी में आया है कि अल्लाह ने फरमाया मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के दर्मियान आधा-आधा बांट दिया। यहां नमाज़ से सूरः फातिहा ही मुराद है और इस पर सब ही का इत्तिफाक है यह सबसे बर्कत वाली सूरः है। इसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिये नबी करीम स० की यह हदीस काफी है जिसमें आप स० ने फरमाया जिस नमाज़ी ने नमाज़ में इस सूरे को न पढ़ा उसकी नमाज़ ही नहीं होती (बुखारी-मुस्लिम) आप स० ने एक मर्तबा मुक्तदियों से यह भी फरमाया जब मैं बुलन्द आवाज़ से किरात करूं तो तुम सूर फातिहा के अलावा कुरआन का कोई हिस्सा मेरे पीछे न पढ़ा करो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी जुजउल किरात में और इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन

में और इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम बैहकी ने किताबुल किरात में और बहुत से हदीस के इमामों ने भी रिवायत किया है।

इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं इमाम के पीछे सूरः फातिहा के पढ़ने के बारे में नबी करीम स० के अक्सर सहाबा और ताबेअीन का इसी पर अमल है। और इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने मुबारक, इमाम शाफेअी और इमाम इसहाक रह० आदि सब इमाम के पीछे सूर फातिहा पढ़ने के काइल हैं तिर्मिज़ी २/२०० (हदीस की किताबों, तफ्सीर सनाई, अहादीसुत्तफासीर, तफ्सीरे मुहम्मदी आदि का खुलासा)

कुरआन पाक की तिलावत आरंभ करने से पूर्व अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैता निर्रजीम पढ़ना सुन्नत है। बिसमिल्ला हिर्रहमानिर्रहमी सूर नम्ल की एक आयत भी है। और दूसरे स्थानों पर एक सूरत को दूसरी सूरत से फर्क़ मालूम करने के लिये है। बुलन्द आवाज़ से किरात की जाने वाली नमाज़ों में इस बिस्मिल्लाह को आवाज़ के साथ और आहिस्ता दोनों प्रकार से पढ़ना दुरूस्त है।

२. चूंकि यह सूरः बन्दों की ज़बान पर गोया एक अर्ज़ी (प्रार्थना -पत्र) का मुसौदा नाज़िल हुआ है, इसलिये इसके तर्जुमा से पहले ''कहो'' छुपा हुआ समझना चाहिये। यानी ऐ मेरे बन्दो! तुम यूं कहो (सनाई)

३. दीन से मुराद भलाई का और बुराई का अच्छा, बुरा बदला हैं खुलासा यह है कि नेकी और बदी के बदले के दिन का मालिक है। (बुखारी-२/६२)

४. इस आयत से स्पष्ट तौर पर मालूम होता है कि हर प्रकार की अिबादत बदनी, माली, कल्बी, कौली, अमली, सब अल्लाह के लिये खास है और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मदद (सहायता) मांगना जाइज़ नहीं है। (सलफिया)

५. यह पहला मौक़ा है कि कुरआन करीम में दुआ का न केवल जिक्र आया है, बल्कि उसकी शिक्षा भी दी गयी है। कुरआन करीम और हदीस शरीफ से यह बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि दुआ जब दिल की तवज्जुह से की जाये, तो अवश्य की कुबूल होती है। मगर इस ज़माना के मुहक्क़िक रिसर्च स्कालर सर सय्यद अहमद खां रह० इस मामले में न केवल मुसलमानों, बल्कि तमाम ही लोगों के मुखालिफ हो बैठे हैं और दुआ के कबूल होने का वह अर्थ नहीं मानते हैं जो सब लोग लेते हैं। (सनाई)

६. इस से चार गरोह मुराद है १. नबियों २. सिद्दीक़ों ३. शहीदों ४. नेक लोगों का गिरोह और मगजूब और जाल्लीन से यहूद और नसारा मुराद है।

ज़्वाद और जो की किरात में बहुत बारीक अन्तर है। इसलिये सहीह बात यही है कि यह फर्क़ अन्तर माफ है मुहम्मदी फतावा काज़ी खां में है कि अगर बिला इरादा किसी ने ज्वाद को जो अथवा जाल की तरह अदा कर दिया, तो उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी। इसलिये कि ज्वाद और जौ मख्रज अदा करने के लिहाज़ से ८.६ बातों में बराबर हैं। लेकिन ज्वाद और दाल में कोई मुनासिबत ही नहीं है।

(विस्तार से देखें तफ्सीर बैजावी तफसीर कबीर, दुर्रि मुख्तार, फतावा आलम गीरी आदि

७. सूर फातिहा को पढ़ कर

जेहरी नमाज़ों में आमीन बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है। सहीह हदीसों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेहरी नमाज़ों में ऊंची आवाज़ से आमीन कहते और मुक्तदी भी इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी। (बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अहमद, इब्ने माजा वगैरह)

बहुत सारी सहीह हदीसों की रोशनी में तमाम मुहदिदसीन, इमाम शाफअी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत सारे उम्मत के नेक और बुज़ुर्गों का यही मज़हब है कि जेहरी (जिस नमाज़ में किरात बुलन्द स्वरों में की जाती है) नमाज़ों में आमीन ऊंची आवाज़ से बोलना नबी करीम स० की सुननत है। आमीन का अर्थ है ऐ हमारे मेहरबान मौला! हम गुनाह गारों की प्रार्थना कुबूल फरमा (सनाई) बिस्तर पर लेटेते समय सूर फातिहा और कुल हुवल्लाह पढ़कर सोना हर खतरे से सुरक्षित हो जाना है। (इब्ने कसीर) बाज़ रिवायतों में आमीन से चिड़ने वालों को यहूद की सी खसलत स्वभाव व आदत रखने वालों की निशानी बताया गया है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हक़ की छान-बीन करने और उसको मानने की तौफीक़ बख्शे... आमीन

(मौलाना दावूद राज़)

(शेष पृष्ठ २६ का)

उन्होंने कहा जो विद्यार्थी इनाम हासिल नहीं कर सके, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि नए जोश और उमंग के साथ मेहनत जारी रखनी चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से अमीरे मुहतरम को इस प्रोग्राम के आयोजन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।'' इस प्रोग्राम से कारी अलाउददीन कासिमी अध्यापक दारूल उलूम देवबन्द डा० कारी अतीकुल्लाह मदनी अध्यापक जामियतुल इमाम अलबानी पश्चिम बंगाल, हाफिज़ शकील मेरठी पूर्व अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस दिल्ली, एडवोकेट फीरोज़ अहमद, अंसारी अध्यक्ष आल इंडिया मुस्लिम मज्लिसे मुशावरत, मौलाना अब्दुस्सलाम सलफी अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस मुंबई, प्रोफेसर शहपर रसूल पूर्व उपाध्यक्ष उर्दू एकेडमी दिल्ली, डा० अब्दुल मजीद सलाही सचिव नदवतुल मुजाहिदीन, मौलाना अताउर्रहमान कासिमी अध्यक्ष शाह वलीउल्लाह इन्स्टीटियूट, डा० सैयद कासिम रसूल इलयास प्रवक्ता मुस्लिम प्रस्नल लॉ बोर्ड, प्रसिद्ध बुद्धिजीवी अख्तरूल वासे प्रोफेसर इमेरेट्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मोलाना फजलुर्रहमी मुजद्दिदी महा सचिव प्रस्नल लॉ बोर्ड, सीनियर अध्यापक मौलाना अनीसुर्रहमान आज़मी अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस तमिल नाडो, मुश्ताक वाणी सूबाई जमीअत अहले कशमीर, मौलाना फजलुर्रहमान उमरी अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस आंध्रा प्रदेश, मौलाना इसमाईल सरवाड़ी अमीर जमीअत अहले हदीस राजस्थान, मौलाना शमीम अख़्तर नदवी अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस पश्चिम बंगाल आदि ने प्रतियोगिता की अहमियत पर रोशनी डाली और मर्कज़ी जमीअत के पदधारियों को बधाई दी।

इस अंतिम सत्र में मर्कज़ी जमीअत के सभी पदधारी, सूबाई जमीअतों और समुदायिक संगठनों के पदधारियों ने बड़ी तादाद में शिर्कत की और इनकी मौजूदगी में पोजीशन लाने वाले क्षात्रों को इंआम दिया गया और इसी तरह शरीक होने वाले सभी अन्य क्षात्रों को भी इंआम देकर प्रोत्साहित किया गया।

इस्लाम में मानवीय अधिकार

डॉ. मोहम्मद आदम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

दुनिया जिहालत के घनघोर अंधेरों में भटक रही थी इल्म विशेष तबकों की जागीर बन चुका था, अवाम के लिए इल्म के दरवाज़ें बंद थे। औरत को इंसान तक नहीं माना जाता था, उसे महज़ एक वस्तु या बोझ समझा जाता। बेटी को अपने लिये अपमान क़रार देकर ज़िंदा दफ़्न कर देना आम था, और अफ़सोस कि आज भी दुनिया में यही वहशियाना सोच नए रूप में मौजूद है। माओं के पेट में ही मासूम बच्चियों को क़त्ल कर दिया जाता है। उस दौर में औरत के मुताल्लिक़ यह भी माना जाता था कि उसके वजूद में रुह नहीं बल्कि पैंडरोरा नामी आसेब छुपा है, यहां तक कि यूनान जैसे मोहज्ज़जब समझे जाने वाला मुआशरा और अरस्तू जैसा फ़लसफ़ी यह अक़ीदा रखता था कि औरत के मुंह में मर्दों से कम दांत होते हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर उनकी ख़रीद-व-फरोख़्त होती, जिन्दा जलाया जाता, और जब यह हाल आज़ाद इंसानों का था तो फिर जिस्मानी या ज़ेहनी आज़माइश में मुबतला अफ़राद को कौन पूछता? उन्हें समाज में मनहूस, कमज़ोरी या बोझ समझा जाता। उन्हें तालीम, क़ियादत, इज़्ज़त या समाजी आवश्यकताओं के क़ाबिल नहीं समझा जाता था।

ऐसे में इस्लाम दुनिया के लिए रहमत बनकर आया। उसने औरत को इज़्ज़त दी, गुलाम को आज़ादी अता की और मज़दूर या आज़माइश में मुबतला अफ़राद को वक़ार और बराबरी बख्शी। कुरआन की रोशन तालीमात, रसूलुल्लाह स० की सीरते तैयबा और खुलफाए राशिदीन के अमली नमूनों ने उन्हें समाज का बावक़ार भाग बनाया। न सिर्फ़ उनकी तालीम, इमामत,इबादत, मुशावरत और आर्थिक किरदार को तस्लीम किया गया बल्कि उनके तहफ्फुज़ और इज़्ज़त के लिए बाक़ायदा क़वानीन बनाए गए, उनके लिए वज़ीफ़े मुक़र्रर किए गए और वो तमाम हुकूक जो उनका पैदाइशी हक़ था उन्हें अमली और वैचारिक सतह पर लागू किया गया।

यह बात पूरी तारीखी सच्चाई के साथ कही जा सकती है कि इस्लाम ने इंसानी तारीख में सबसे पहले बधिर अफ़राद के लिए एक व्यापक, फ़ितरी और काबिले-अमल मैनिफेस्टो मुरत्तब किया। यह मैनिफेस्टो सिर्फ़ मज़हबी तालीमात पर आधारित न था बल्कि राजकीय निज़ाम, समाजी समानता और रूहानी अज़मत के उसूलों पर क़ायम था। इसका आग़ाज़ डायरेक्ट रसूलुल्लाह की सीरते-मुबारका से हुआ।

इस्लाम ने जिसमानी या ज़ेहनी बधिरता को कभी भी इंसान की इज़्ज़त व अज़मत में रूकावट नहीं समझा। कुरआन करीम ने एलान फ़रमायाः कोई हरज कीबात नहीं, न अंधे के लिए, न लंगड़े के लिए और न बीमार के लिए। (सूरे नूर-६१) यह आयत और इसका पसे-मंज़र इस हक़ीक़त को उजागर करता है कि शरीअत के अहकाम में माज़ूरों के लिए सहूलत और आसानी के साथ उनकी इज़्ज़त और वक़ार में

किसी क़िस्म की कमी नहीं।

इस्लाम ने मअ्जूर (वधिर) अफ़राद को समाजी और सियासी सतह पर शुमूलियत का पूरा हक़ दिया। इसकी रोशन मिसाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रज़ि० हैं, जो नाबीना होने के बावजूद बारहा मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह के क़ायम मक़ाम (नायब) मुकर्रर किए गए। यह इस बात का अमली एलान है कि विकलांगता क़ियादत, ज़िम्मेदारी या इज्तिमाई भागीदारी में रूकावट नहीं।

इस्लाम ने मअ्जूर की किफ़ालत को महज़ खैरात या सदके पर नहीं छोड़ा बल्कि इसे रियासती जिम्मेदारी क़रार दिया बैतुल माल, ज़कात और बाक़ायदा वज़ीफों के ज़रिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा फ़राहम किया गया। यह उसूल आधुनिक राजकीय कल्याण की व्यवस्था सदियों पहले इस्लाम ने क़ायम कर दी थी। इल्मी व रूहानी तरक़्क़ी इस्लामी रिवायत में मअ्जूर अफ़राद को इल्मी व फ़िक्री क़ियादत के बुलंद तरीन मक़ामात तक पहुंचने का हक़ हासिल रहा। इमाम तिर्मिज़ी रह० नाबीना थे, अता बिन अबी रबाह रह० मफलूज थे, और काज़ी अयाज़ रह० भी बसारत से महरूम थे, लेकिन ये सब अपने अपने ज़माने के इल्मी व फ़िक़्ही इमाम बने। यह इस बात का सुबूत है कि इस्लाम ने मअ्जूरी को इल्मी व फिक्री विकास की राह में रूकावट नहीं बनाया।

इस्लाम ने मअ्जूर अफ़राद के हुक़ूक़ व फराइज़ को निहायत बारीक़ी से तय किया। उन पर ऐसे अहकाम साक़ित कर दिए गए जो उनके लिए नाक़ाबिले अमल थे, मगर उनके वक़ार और समाजी मक़ाम में कोई कमी नहीं की गई। शरीअत ने उन्हें रिआयत दी, मगर समाजी इज्ज़त में कमी नहीं आने दी।

सुकून और रूहानी अज़मत कुरआन व हदीस में जिस्मानी या ज़ेहनी ख़ामियों में मुबतला अफ़राद के लिए खुसूसी तसल्ली और बशारतें दी गईं। उन्हें सब्र, बेपनाह अज्र, जन्नत की खुशखबरी और कुर्बे इलाही का मक़ाम अता किया गया। यह तहफ्फुज़ किसी भी आधुनिक कानूनी या समाजी निज़ाम में इस व्यापकता के साथ नहीं मिलता।

इस्लाम के ये तमाम उसूल और अमली इक्दाम मिलकर एक बाज़ाब्ता और व्यापक इस्लामी मैनिफेस्टो का गठन करते हैं, जो इंसानी तारीख़ में अपनी तरह का पहला मुकम्मल जाबता है। इसमें इज़्ज़त तहफ्फुज़, क़ियादत, इल्म, रूहानियत और उख़रवी अज्र सब पहलुओं पर आधारित एक व्यापक निज़ाम मौजूद है। आज की आधुनिक दुनिया बिलाशुबहा इसकी पैरवी में कवानीन बना रही है, मगर वह जो इस्लामी मॉडल में नज़र आता है, आज भी कहीं और दिखाई नहीं देता। इस्लाम का यह चमत्कार न सिर्फ़ उस दौर की तारीख़ को बदल गया बल्कि आज की नई दुनिया के लिए एक अख़लाकी व समाजी मेयार भी बन गया, जिसे राष्ट्र संघ से लेकर इंसानी हुकूक के इदारों तक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी वह इस तकमील के करीब नहीं पहुंच सके जो इस्लाम ने सदियों पहले पेश कर दी थी। इस्लाम से पहले मअ्जूर अफराद की हालत और आज के नये निज़ाम की खामियों की तुलना हमें यह समझने में मदद देता है कि इस्लाम ने किस हद तक एक सकारात्मक तबदीली पैदा की, और आज के विकसित कहलाने वाले निज़ाम और अक़वाम किस मुकाम पर खड़े हैं।

❑❑❑

दहेज लेने और देने के हीले व बहाने और उसका अंजाम

मौलाना अबू मुआविया शारिब सलफी

दहेज एक ऐसी रस्म है जिस की वजह से समाज के अन्दर शादी करना मुश्किल और अवैध संबन्ध बनाना आसान हो चुका है दहेज एक ऐसा डंक है जिसने पूरे समाज को डस लिया है मगर फिर भी हम इस अत्याचार को बरकरार रखने पर अडिग हैं और इसके बगैर शादी करने को अधूरा और अपनी शान के खिलाफ़ समझते हैं अफसोस कि जिसके नाजायज़ होने में कोई शक नहीं इसको लोगों ने तरह तरह के हीलों और बहानों से अपने लिये जायज़ कर लिया है जबकि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः

ऐ ईमान वालो! अपने आपस के माल नाजायज़ तरीक़े से न खाओ। (सूरे निसाा-२९)

जिन जिन हीलों और बहानों से इस गैर शरई काम को मुसलमानों ने अपने लिये हलाल कर लिया है इनमें से सबसे ज्यादा मश्हूर यह बात है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा को दहेज़ दिया था इसी लिये दहेज का लेना और देना जायज़ है जबकि यह बात नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा झूठा आरोप है क्योंकि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा को दहेज़ दिया ही नहीं था बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी दिया था वह सैयदा फातिमा के मुहर के पैसे ही से खरीदा था जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अनहुमा बयान करते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहो अन्हो ने सैयदा फातिमा से निकाह किया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहो अन्हो से कहा कि फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा को महर में कुछ दो तो अली रज़ियल्लाहो अन्हो ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है फिर आप ने सैयदना अली रज़ियल्लाहो अन्हो से पूछा कि तुम्हारी हतमी ज़िरह कहाँ है? तो अली रज़ियल्लाहो अन्हो ने कहाः वह तो मेरे पास है। आप ने अली रज़ियल्लाहो अन्हो से कहा वही हतमी ज़िरह महर में फातिमा को दे दो। अली रज़ियल्लहो स्वयं कहते हैं कि मैंने यह ज़िरह फातिमा को महर के तौर पर दे दिया। (अबू दाऊद २१२५, नेसई, ३३७५, मुसनद अहमद ६०३)

जब अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने यह जिरह महर के तौर पर देने का एलान किया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि यह ज़िरह बेच दो फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहो अन्हो ने अपना ज़िरह ४८० दिरहम में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहो अन्हो के हाथों बेच दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने यह रक़म नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कुछ रक़म बिलाल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को देकर कहा कि इससे कुछ खुश्बू वगैरह खरीद कर ले आओ। फिर आप

सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कुछ सामान तैयार करने का हुक्म दिया जिसमें एक सफेद ऊनी चादर, चारपाई, दो मश्कीज़े, दो चक्कियाँ और अज़खुर घास से भरा हुआ चमड़े का तकिया था। (अल मवाहिबुद दुनिया बिल मिनहिल मुहम्मदिया १/३८४) पता चला कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जो सामान खरीदा था वह सैयदना अली रज़ियल्लाहो अन्हो के ही पैसों से था इसलिये इससे दलील लेना सहीह नहीं और अगर मान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खरीद करके उपर्युक्त सामान अपनी बेटी को दिया था तो भी इससे दहेज़ के जायज़ होने पर दलील लेना सहीह नहीं क्योंकि

सबसे पहली बात तो यह है कि इसे दहेज का नाम देना सहीह नहीं है कि क्योंकि अगर यह दहेज होता तो मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी अन्य तीनों बेटियों को ज़रूर दहेज देते क्योंकि इसका सुबूत हदीसों की किसी किताब के अन्दर मौजूद नहीं जो इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा को जो कुछ भी दिया था वह दहेज नहीं था।

दूसरी बात यह है कि अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो शुरू से ही आप के भरण पोषण और संरक्षण में थे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने संरक्षक के तौर पर उनकी शादी के अवसर पर उनके लिये इन्तेज़ाम करके दिया और ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं और न ही इसे दहेज़ का नाम दिया जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की आर्थिक स्थिति खासी तन्ग थी इस लिये मदद के तौर पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उपर्युक्त सामान दिया था और ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है और इसे दहेज़ का नाम हर्गिज़ नहीं दिया जा सकता और न ही इससे दलील ली जा सकती है क्योंकि आज उसे ही ज़्यादा दहेज दिया जाता है जिसके पास पहले ही से ज़्यादा माल व दौलत होता है।

इस सिलसिले में चौथी और आखिरी बात यह है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा को दिये गये सामान से वह मसला निकलता है जो आज के दहेज लेने वाले समझ रहे हैं तो इस पर अमल करने वाले सबसे पहले सहाबा किराम होते या फिर उम्महातुल मोमिनीन अपने साथ ज़रूर यह सब सामान लातीं या कम से कम सलफ से इसका सुबूत ज़रूर मिलता लेकिन ऐसा नहीं है जो इस बात का स्पष्ट सुबूत है कि दहेज का इस्लाम से कोई संबन्ध नहीं है।

दहेज लेने वालों ने एक बहाना यह भी गढ़ रखा है कि हमें लड़की वाले हंसी खुशी देते हैं जबकि ऐसा कहना शत प्रतिशत झूठ है। दहेज को तोहफे का नाम देना किसी भी हाल में सही नहीं है क्योंकिः

तोहफा खुशी से दिया जाता है।

तोहफा और उपहार अपनी ताक़त के मुताबिक दिया जाता है।

तोहफा देने में किसी का दबाव नहीं होता।

तोहफे को वरासत का बदल नहीं समझा जाता।

तोहफे के लिये बड़े बड़े कर्ज़ नहीं लिये जाते।

तोफा देने में फ़ुजूल खर्ची से काम नहीं लिया जाता है।

आप उपर्युक्त बिन्दुओं पर गौर करें आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दहेज के अन्दर यह सारी चीज़ें नहीं पायी जातीं जब ऐसी स्थिति है तो दहेज़ को तोहफे का नाम कैसे दिया जा सकता है।

याद रखें यह सारी बातें निराधाार और दूसरों के माल को नाजायज़ तरीक़े से हासिल करने के हीले और बहाने के सिवा कुछ नहीं क्यांकि शरीअत के आदेश और सिद्धांत वक़्त और हालात की मनुासिबत से बदलते नहीं हैं और न ही झूठे हीलों और बहानों से हराम चीज़ों को हलाल किया जा सकता है आज भी ऐसे लोग पाये जाते हैं जो न तो अपनी बेटी को दहेज देते हैं और न ही बेटे की शादी में दहेज़ लेते हैं। वास्तव में जिस इन्सान के दिल में अल्लाह का भय व डर होगा और उसे मरने के बाद के जीवन की चिंता हो गी तो वह इस तरह के हीले और बहाने नहीं करेगा इसलिये याद रखलें कि इस तरह के ओछे हीले और बहानों से दूसरों के माल को लेना जायज़ नहीं है।

जो लोग भी दहेज़ लेने और देने के लिये ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं एसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए और अपनी आखिरत की चिंता करनी चाहिए क्योंकि जो लोग दहेज के नाम पर लड़की वालों से मांगते हैं, लाखों रूपये हासिल करते हैं क्यामत के दिन दहेज के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को अपनी निजात की चिंता करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के जितने भी नेक कर्म हैं सबके सब अकारत हो जाएंगे, इन के नेक आमाल से दूसरों की निजात हो सकती है मगर ऐसे लोगों की नहीं बल्कि ऐसे लोग नरक के गडढ़े में फेंक दिए जाएंगे। जैसा कि सहीह मुस्लिम में है पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा किराम (अपने प्यारे साथियों) से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि गरीब कौन है सहाबा ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के संदेशवाहक हम तो मुफ्लिस (गरीब व कंगाल) उसे समझते हैं जिस के रुपये पैसे और सामान नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः नहीं मेरी उम्मत का गरीब वह होगा जो क्यामत के दिन नमाज़ रोज़ा और ज़कात वगैरह का सवाब लेकर आयेगा मगर उसकी हालत यह होगी कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा आरोप लगाया हो गा किसी का माल (अवैधा तरीके) से खाया होगा किसी का खून बहाया होगा किसी को मारा होगा। यह सभी (प्रताड़ित) लोग अल्लाह के पास अपनी फरयाद लेकर हाज़िर हो जायेंगे तो अल्लाह दुनिया के मजलूमों के हक़ में यह फैसला फरमायेगा कि इनकी नेकियों के ढेर से नेकियां उठा उठा कर दे दिया जाएगा। और हर एक को उसके अत्याचार के हिसाब से उसकी नेकियाँ मजलूमों को दे दी जाएंगी मगर अभी कुछ ही देर हुआ होगा कि उसकी तमाम नेकियाँ खत्म और मजलूम दावेदार बाकी रह जाएंगे फिर अल्लाह हुक्म देगा कि अब तो न्याय की एक ही सूरत है कि मजलूम के जो पाप हैं इस अत्याचारी के ऊपर डाल दिया जाए और इसे जहन्नम में फैंक दिया जाए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके साथ ऐसा ही किया जाएगा और फिर इसे जहन्नम की आग में झोंक दिया जायेगा। (सहीह मुस्लिम २५८१ तिर्मिज़ी २४१८)

ज़रा सोचिये उनका क्या हाल होगा जो औरतों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते हैं सुबह शाम लांछन करते हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें शुद्धबुद्धि दे ताकि दहेज जैसी घातक और बुरी रस्म को छोड़ सकें। आमीन (जरीदा तर्जुमान अंक १-१५ सितंबर २०२१ में प्रकाशित लेख का सारांश)

❑❑❑

इस्लाम की कसौटी

मासूम अहमद

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''ऐ लोगो! हमने तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे कुंबे और कबीले बना दिये हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे बाइज्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है'' (सूरे हुजूरातः१३)

कुंबे और कबीले बनाने का मक़सद यह है कि लोग एक दूसरे को पहचान सकें कि कौन किस कबीले का है और कहाँ से संबन्ध रखता है। वैसे कुछ लोग बदनाम करने के लिये आरोप लगाते हैं कि इस्लाम में भी ऊंच नीच की संकल्पना है जबकि इसकी कोई हक़ीक़त नहीं है जिस तरह से बहुत से मामलात में आरोप लगा कर बदनाम और छवि खराब करने का प्रयास किया जाता है वैसे ही इस मामले में भी है।

इस्लाम में किसी के अच्छे होने की बुनियाद उसका नेक कर्म है और इसी आधार पर मरने के बाद भी ऐसे शख्स को बदला दिया जाएगा, हिसाब किताब के दिन अर्थात परलय के दिन न दौलत काम आयेगी और न किसी का सोर्स काम आयेगी,

कुंबे और कबीले बनाने का मक़सद यह है कि लोग एक दूसरे को पहचान सकें कि कौन किस कबीले का है और कहाँ से संबन्ध रखता है। वैसे कुछ लोग बदनाम करने के लिये आरोप लगाते हैं कि इस्लाम में भी ऊंच नीच की संकल्पना है

उस दिन बड़े से बड़े कानून के माहिरीन कुछ नहीं कर जायेगे, वहां पर शब्दों का जाल काम नहीं आयेगा। सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म काम आयेगा। काले गोरे के बीच कोई फर्क नहीं होगा, न अरबी होने का कोई फायदा मिलेगा और न ही अजमी होने का कोई फायदा मिलेगा।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद स० ने फरमाया हैः ऐ लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी (ग़ैर अरबी) को अरबी पर न कसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर कोई वरीयता नहीं मगर परहेज़गारी के आधार पर। (मुस्नद अहमद)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और आमाल को देखता है। (सहीह बुखारी)

इस्लाम की कसौटी यह है कि वह इन्सान को उसके कर्म की तराजू पर तौलता है।

इस्लाम के नज़दीक किसी की धन दौलत उसके बड़े होने की पहचान नहीं है, अगर यह पहचान है, तो केवल दुनियावी है मरने के बाद वाले जीवन में केवल इन्सान का सत्कर्म काम आयेगा, यही उसकी कामयाबी की दलील होगी किसी के कामयाबी की कसौटी यही है धन दौलत नहीं।

❑❑❑

इस्लाम से पूर्व अरबों में तलाक़

डा0 मुक़्तदा हसन अज़हरी

इस्लाम से पूर्व अरबों में भी तलाक की प्रथा थी। इस सम्बन्ध में वे लोग महिलाओं पर अत्याचार भी करते थे। यदि पति, पत्नी को सौ बार भी तलाक दे चुका हो तो भी उसे इद्दत (तलाक़ के पश्चात एक निश्चित समय इद्दत कहलाता है, रजअत का अर्थ है लौटना यदि पति इद्दत के भीतर पुनः स्त्री को रख ले तो इसे रजअत कहते हैं) में रजअत का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अरब के कुछ समुदायों में महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार प्राप्त था। इमाम शाफई का बयान है कि अरब के लोग, ज़िहार, ईला तथा तलाक़ तीन प्रकार से पत्नियों से अलग होते थे। कुरआन ने केवल तलाक को शेष रखा तथा ज़िहार एवं ईला में परिवर्तन कर दिया।

अनुचित आपत्ति

इस्लाम की तलाक व्यवस्था के रहस्य तथा पूर्व धर्मों, जातियों, सभ्यताओं के परिवारिक आदेशों तथा कानूनों से अनभिज्ञ लोगों ने एक लम्बे समय तक तलाक़ के विषय में इस्लामी शरीअत पर नाना प्रकार की आपत्तियों का क्रम जारी रखा, परन्तु स्थितियों ने जब उन्हें विवश किया तो फिर स्वयं भी इस्लामी व्यवस्था से सहमत हो गये, किन्तु इस विस्तार के साथ कि जिससे पति-पत्नी तथा समाज दोनों पर अति कुप्रभाव पड़े।

नियत तथा निर्देश

पति-पत्नी के बीच उत्पन्न होने वाले विरोध को दूर करने के लिए इस्लाम ने जो पद्धति निकाली है उसकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है।

१. सर्वप्रथम इस्लाम ने पति-पत्नी में कर्तव्य परायणता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आपसी अधिकारों तथा सन्तान की देख-रेख के मामले को दोनों को समझना चाहिए तथा यह भी स्मरण रहना चाहिए कि इन सभी बातों के विषय में अल्लाह तआला उनसे प्रश्न करेगा। नबी स० का कथन है कि

''पुरूष, स्त्री का रक्षक है तथा इससे सम्बन्धित वह उत्तरदायी है तथा इसी प्रकार पत्नी अपने पति के घर की रक्षक है तथा इस विषय में वह उत्तरदायी है।''

२. पति-पत्नी के बीच यदि विरोध उत्पन्न हो तो ऐसी दशा में इस्लामी शिक्षा यह है कि दोनों धैर्य तथा सन्तोष धारण करें तथा अप्रिय व्यवहार को सहन करें। व्यवहार तथा स्वभाव में भिन्नता का परिणाम यह होता है कि मनुष्य अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के व्यवहार का सामना करता है, कभी अप्रिय एवं कष्टदायक बात ही उसकी सम्पन्नता का कारण बनती है। अल्लाह तआला कहता है कि

''महिलाओं (पत्नियों) के साथ अच्छा व्यवहार करो, यदि वह तुम्हें नापसन्द हों तो भी। सम्भव है कोई वस्तु तुम नापसन्द करो तथा अल्लाह तआला उसमें बहुत सी भलाई का

सामान पैदा कर दे।

३. यदि दोनों के बीच अधिक विरोध हो जाये तथा सहन एवं सन्तोष करना सम्भव न हो, तथा अधिक घृणा, विरोध एवं शत्रुता बढ़ने का भय हो जाये तो ऐसी स्थिति में इस्लाम का आदेश है कि पति-पत्नी दोनों एक एक व्यक्ति को निर्णायक नियुक्त करें तथा उसके समक्ष अपनी समस्याओं को रखें, तथा दोनों के निर्णायक मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें तथा पति-पत्नी को समझायें। कुरआन का कथन है कि यदि पति-पत्नी सुधार चाहेंगे तो ऐसो स्थिति में अल्लाह तआला उनके बीच प्रेम एवं सहानुभूति उत्पन्न कर देगा।

४. निर्णायकों (समझौता कराने वालों) के प्रयास के पश्चात भी यदि पति-पत्नी प्रेम के साथ मिलकर रहने में सहमत न होसकें तो फिर ऐसी स्थिति में इस्लाम की ओर से पुरूष को यह अनुमति है कि वह पत्नी को तलाक दे दे। इस तलाक के पश्चात पत्नी तीन महीने तक इद्दत के समय तक पति के साथ उसके घर में रहेगी, परन्तु इस बीच दोनों में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित न होंगे।

इस प्रकार के तलाक को रज़ई तलाक कहते हैं, अर्थात पति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह इद्दत का समय पूरा होने से पूर्व बिना निकाह किये पत्नी से पुनः सम्बन्ध स्थापित कर लें।

५. परन्तु प्रथम तलाक के पश्चात इद्दत का समय यदि पूरा हो गया तो यह तलाक बाईन हो जायेगी, अर्थात अब वह उसकी पत्नी नहीं रह गई, अब बिना महर और निकाह के पति उसके साथ नहीं रह सकता, तथा उसकी पत्नी किसी पुरूष से निकाह करना चाहे तो वह उसे रोक नहीं सकता।

६. प्रथम तलाक के पश्चात यदि रजअत (आपसी सहमति) करके पति पत्नी फिर एक साथ जीवन व्यवतीत करने लगें, तथा संयोगवश फिर उनके बीच विरोध उत्पन्न हो जाये तो ऐसी स्थिति में सन्तोष एवं धैर्य की शिक्षा दी जाये। यदि इससे कोई सुधार न हो तो दोनों की ओर से निणर्याक नियुक्त होंगे जो स्थिति में सुधार लाने के प्रयास करेंगे, यदि उनका प्रयास उसफल हो जाये तो पुरूष को यह अधिकार होगा कि पत्नी को दूसरा तलाक दे दो, पुरूष को प्रथम तलाक के समान ही पुनः उस पत्नी को रखने का अधीकार होगा। पुरूष को इस दूसरी तलाक के बाद भी प्रथम तलाक के समान ही पत्नी को पुनः रखने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरी बार रखने के पश्चात यदि पुनः सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करना सम्भव न हो तो पुरूष को तीसरा तलाक देने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु इस तीसरे तलाक के बाद यह महिला उसके लिए पूर्णरूप से अवैध हो जायेगी, अर्थात अब उसकी शादी किसी अन्य पुरूष से होगी तथा वह उसे अपनी इच्छा से जब तलाक देगा और इद्दत का समय बीत जाएगा तब पहला पति उससे पुनः शादी कर सकता है। परन्तु ऐसा न हो कि इस शादी में कोई बहाना ढूंढा गया हो जैसा कि हलाला के नाम से आज कल अस्थायी निकाह का कुप्रचलन है।

तलाक के विषय में यह नियम इसलिए निश्चित किया गया है कि रजई दो तलाकों के पश्चात पुरूष अन्तिम बार यह सोच ले कि अब

उसे पत्नी के विषय में क्या करना है। यदि उसे अनुमान हो जाये कि गुजारा सम्भव नहीं तो तीसरा और अन्तिम तलाक दे, परन्तु यह भी सोच ले कि अब पत्नी किसी दूसरे के निकाह में जायेगी तथा इसके बिना अब कोई अन्य उपाय नहीं है। स्पष्ट है कि तीसरी तलाके के बाद स्त्री किसी दूसरे के निकाह में रहकर उसके तलाक देने के पश्चात जब पुनः प्रथम पति के निकाह में आयेगी तो उससे पति-पत्नी दोनों लज्जित होंगे तथा हृदय में एक प्रकार का पश्चाताप बना रहेगा। इस्लाम ने तीसरी तलाक के बाद किसी दूसरे पुरूष से निकाह की शर्त इसीलिये आवश्क घोषित की है कि पुरूष तीसरा तलाक देते हुए भली भांति सोच ले कि यदि इस स्त्री को पुनः अपने निकाह में लाना चाहेगा तो उसे उक्त अप्रिय स्थिति का सामना करना होगा।

इस नियम की पूर्ण एवं सविस्तार व्याख्या से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस्लाम ने परिणय सूत्र को सुदृढ़ करने के लिए कितना सोच विचार एवं उपाय तथा सूझ-बूझ से काम लिया है।

तलाक देने की कुछ शर्तें

पति की ओर से तलाक देने के लिए ओलमा ने अनिवार्य रूप से यह घोषित किया है कि वह व्यस्क, बुद्धिमान तथा अधिकार प्राप्त हो। अतः पागल, बच्चे तथा विवश वयक्ति की ओर से दी गई तलाक़ मान्य न होगी। ओलमा ने व्याख्या की है कि तलाक एक ऐसा व्यवहार है कि जिसके व्यवहारिक जीवन में अतिदूरगामी प्रभाव एवं परिणाम होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह संकल्प लेते समय पति योग्य तथा जानकार हो।

इसीलिए ओलमा ने निम्नलिखित प्रकार के पतियों की ओर से दियेजाने वाले तलाक को स्वीकार नहीं किया है।

१. विवश तथा मजबूर व्यक्ति जो अपने अधिकार की अपेक्षा किसी व्यक्ति के विवश करने पर तलाक दे रहा हो। २. ऐसा व्यक्ति जो नशे में हो तथा अपने कार्य की महत्ता एवं उसके प्रभाव से अचेत हो।

३. ऐसा व्यक्ति जो क्रोध में पागल हो गया हो तथा उसे अपने व्यवहार के परिणाम का ज्ञान न हो।

साभारः ''इस्लाम और औरत''

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

(प्रेस रिलीज़)

हालात की शिकायत आपका तरीका नहीं, उम्मत को बेहतरीन उम्मत का अपेक्षित भूमिका अदा करनी चाहिएः मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का महत्वपूर्ण सत्र सम्पन्न, मुल्क व मिल्लत, जमाअत और इंसानियत से जुड़े मसलों पर गहन विचार विमर्श और कई अहम फैसले व प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली ५ अक्टूबर २०२५

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का एक अहम सत्र ५ अक्टूबर २०२५ को सुबह १० बजे अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

सत्र की शुरूआत डाक्टर अब्दुल अजीज मुबारकपूरी की तिलावते कुरआन से हुई। इसके बाद मर्कजी जमीअत अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी का अध्यक्षीय संबोधन हुआ जिसमें उन्होंने उपस्थित सदस्यों और जिम्मेदारों का स्वागत किया और उनके आगमन पर हार्दिक धन्यवाद किया।

उन्होंने मौजूदा हालात में अल्लाह की ओर बुलाने शिक्षा और प्रशिक्षण मानव सेवाए, इंसानी भाईचारा, एकता, राष्ट्रीय एकजुटता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अल्लाह की ओर लौटने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हर दौर में हमारे पूर्वजों की यही पहचान रही है।

इसके बाद महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली के निर्देश पर उप सचिव ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ी जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। फिर महा सचिव ने मर्कजी जमीअत की कार्य.प्रगति रिपोर्ट पेश की जिस पर सदस्यों ने पूर्ण संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की।

इसके बाद दावत, संगठन, मिल्ली और मुल्की मसलों पर विचार विमर्श हुआ विशेष रूप से मदरसों के संरक्षण और अन्य सामयिक मुद्दे विचारा धीन रहे। वित्तीय व संगठनात्मक मामलों पर महा सचिव और कोषाध्यक्ष ने ध्यान आकर्षित किया जिन पर आवश्यक निर्णय लिए गए और सभी कार्यों को नए जोश और उत्साह से करने का संकल्प किया गया।

बैठक के अंत में मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और शेख अनीसुर्रमहान आजमी की दुआ पर

बैठक सम्पन्न हुई।

कार्य समिति के प्रस्तावों में इस्लामी शिक्षाओं के प्रसार उनसे जुड़ी गलतफहमियों के निराकरण और धर्मों के बीच संवाद की अहमियत पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय और समाजिक संगठनों के जिम्मेदारों व ओलमा से कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की गई। देश में आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए ऐसे बयानों से बचने की अपील की गई जो गंगा जमुनी सभ्यता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थिरता के साथ साथ आधुनिक और व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना को मिल्ली जिम्मेदारी बताया गया और संपन्न लोगों से सहयोग की अपील की गई। बैठक में वक्फ संशोधन अधिनियम पर मुस्लिम समाज और न्यायप्रिय नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त किया गया और सर्वोच्च न्यायालय से न्यायसंगत निर्णय की आशा जताई गई। मीडिया की भूमिका को स्वीकार करते हुए उसे अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से निभाने और लोकतंत्र की रक्षा हेतु काम करने की अपील की गई। मुल्क और विदेश में होने वाली सभी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की निंदा करते हुए कार्य समिति ने अपने पुराने रूख को दोहराया कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना सरासर गलत और नाइंसाफी है। साथ ही वर्षों बाद निर्दोष साबित होकर रिहा हुए युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए अदालतों से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई। प्रस्ताव में पैग़म्बर स० से प्रेम के प्रदर्शन के संदर्भ में की गई गिरफ्तारियों पर चिंता व्यक्त की गई और लोगों से संयम बरतने तथा विशेष रूप से युवाओं से किसी भी उकसावे में न आने की अपील की गई। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शराबखोरी, दहेज प्रथा, गर्भ में कन्या हत्या और अन्य सामाजिक बुराइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके उन्मूलन की अपील की गई। कार्य समिति के प्रस्ताव में मर्कजी जीमअत अहले हदीस हिन्द के तत्वाधान में जारी २१वां अखिल भारतीय दो दिवसीय पवित्र कुरआन हिफ्ज तजवीद और तफ्सीर प्रतियोगिता के आयोजन को समय की आवश्यकता बताते हुए उसकी सराहना की गई। प्रस्ताव में पंजाब में आई बाढ़ और उत्तराखंड आदि में प्राकृतिक आपदाओं से हुए जन धन के नुकसान पर दुःख व्यक्त करते हुए सरकारों और जनता से पीड़ितों की सहायता की अपील की गई। फिलिस्तीन में इजराइल की अत्याचारी कार्रवाइयों, नरसंहार और भुखमरी जैसी अमानवीय हरकतों की कड़ी निंदा करते हुए विश्व समुदाय से फिलिस्तीन मुद्दे का शीघ्र समाधान निकालने और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता देने की अपील की गई। इसके अतिरिक्त मुल्क मिल्लत और जमाअत की महत्वपूर्ण हस्तियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया और सभी मरहूमीन के लिए दुआ-ए-मगफिरत की गई।

जारी कर्ता

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

पवित्र कुरआन शरीफ के "अम्न और इंसानियत" के संदेश को आम करना वक्त की बड़ी जरूरत है: मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी, अध्यक्ष मरकजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

मरकजी जमीयत अहले हदीस हिन्द के तत्वावधान में इक्कीसवीं अखिल भारतीय दो दिवसीय हिफ्ज, तज्वीद व तफ्सीर कुरआन करीम प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

पूरे देश से सात सौ हाफिजों, कुर्रा और ओलमा ने भाग लिया

नई दिल्ली, ४ अक्टूबर २०२५

पवित्र कुरआन के संदेश ''अम्न और इंसानियत'' को आम करना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जहाँ कुरआन होगा वहाँ अम्न-व-अमान कायम रहेगा, इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत, इंसाफ और बराबरी की इस्लामी शिक्षाएँ आम होंगी, और कानून का वर्चस्व रहेगा। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें हर हाल में कुरआन के अम्न व शांति के संदेश को दुनिया तक पहुँचाना है। आप जहाँ भी हैं, कुरआन की बरकत से महफूज हैं। कोशिश कीजिए कि पूरी दुनिया पवित्र कुरआन की ठंडक से महक उठे। प्रतियोगिता में दिल लगाकर हिस्सा लीजिए, चाहे इनाम न भी मिले, मगर आप कुरआन की बरकत से एक ऊँचे दर्जे पर हैं। इन विचारों को मरकजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने व्यक्त किया। वे जमीयत के तत्वावधान में आयोजित इक्कीसवें आल इंडिया हिफ्ज, तज्वीद व तफ्सीर कुरआन करीम प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बेशक एक मुबारक और अहम आयोजन है, क्योंकि इसका संबंध खुद पवित्र कुरआन से है। कुरआन के हाफिज जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं, वह बहुत बड़ी अमानत है। कुरआन को उसी तरह पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हम सब पर फर्ज है। अगर हम इनमें से किसी पहलू को नजरअंदाज करें तो हम कुरआन को छोड़ने वाले समझे जाएँगे। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरआन की हिफाजत के साथ-साथ मदरसों की हिफाजत

और मजबूती भी उतनी ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रतिभागियों, परीक्षकों, मेहमानों और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मदरसों पर झूठे इल्जाम लगाने वाले लोग निंदनीय हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मरकजी जमीअत की आतंकवाद विरोधी मुहिम के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने खुलकर कहा था कि मदरसों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वे अम्न और इंसानियत के केंद्र हैं। उन्होंने कहा था कि कुरआन को हर घर तक पहुँचाना चाहिए ताकि न्याय और शांति विकसित हो।

इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह ९ बजे जामे मस्जिद अहले हदीस कम्पलैक्स, ओखला, नई दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कारी शाहनवाज जामिया इस्लामिया फैजे आम, मऊ की तिलावत से हुई।

कन्वीनर मौलाना डा० मोहम्मद शीश इदरीस तैमी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इस साल की प्रतियोगिता सबसे बड़ी है, जिसमें देशभर के १०० से अधिक मदरसों के लगभग ७०० छात्र भाग ले रहे हैं।

महा सचिव मौलाना मोहम्मद हारून सनाबिली ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मदरसों के विद्यार्थियों में हिफ्ज, तज्वीद और तफ्सीरे-कुरआन का जज़्बा पैदा करना है। उन्होंने मरकजी जमीअत के अध्यक्ष महोदय के तत्वाधन में जमीअत की लगातार प्रगति पर खुशी जताई।

डा० अब्दुर्रहमान अब्दुल जब्बार परिवाई, संस्थापक दारुअवा दिल्ली ने कहा कि जमीअत की विविध सेवाएँ सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि जमाअत अहले हदीस का मकसद हमेशा से सही दीन की तालीम को हर मजहब और वर्ग तक पहुँचाना रहा है।

कारी अलाउद्दीन कासिमी, दारुल उलूम देवबंद, वक्फ ने कहा कि जमीअत के कार्यक्रम हमेशा अनुकरणीय और असरदार होते हैं। उन्हें चौथी बार इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला, जिसे उन्होंने इसको अपनी सौभाग्य की बात बताया।

इस अवसर पर अन्य प्रमुख हस्तियों में मौलाना मोहम्मद अली मदनी, मौलाना मोहम्मद इब्राहीम मदनी, डा० नदीम अहमद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना असअद आजमी, हाफिज मोहम्मद ताहिर सलफी, और मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी आदि ने अपने विचार रखे।

अंत में हाजी वकील परवेज, नाजिमे मालीयात ने सभी प्रतिभागियों, उनके अभिभावकों और मदरसों का शुक्रिया अदा किया और अध्यक्ष महोदय की सेवाओं को सराहा।

यह प्रतियोगिता देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग ७०० हाफिजों और ओलमा के बीच कुल छह श्रेणी में आयोजित की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कल रविवार शाम मगरिब की नमाज के बाद पोजीशन लाने वालों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियाँ शामिल होंगी।

❑❑❑

हमें पूरी मानवता का सेवक बनना है: इक्कीसवीं आल इंडिया हिफ्ज, तजवीद और तफसीर कुरआन प्रतियोगिता के अंतिम सत्र से मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष मौलाना असगर अली सलफी संबोधन

दिल्ली ७ अक्टूबर २०२५

अल्लाह तआला का यह सबसे बड़ा इनआम और करम है कि उसने हम सबको, खास तौर पर आप खुशनसीब आलिमों और हाफिजों को, अपनी सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत कुरआन करीम को पढ़ने, अपने दिलो-दिमाग में बसाने, उसे सँवारने, उसकी कद्र करने, उसे समझने और उस पर गौर करने की तौफीक बख्शी।

इस सबसे बड़ी दौलत का तकाजा यह है कि हम उस पर उसी एहतमाम (ध्यान) और उसी अजमत (महानता) के साथ अमल करें, जिस अजमत और ताकत के साथ अल्लाह तआला ने उसे सात आसमानों से अपनी सबसे अजीम मखलूक को अता किया। इसलिए हामिले कुरआन (कुरआन के प्रचारकों) का यह फर्ज है कि उनकी जरिए से, उनके मदरसों के जरिए से और उनके उलमा के जरिए से इंसानियत की तकरीम (सम्मान) बरकरार रहे।

आपका रिश्ता कुरआन करीम से है, इसी लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन इस रिश्ते की जो अजमत, जो कुव्वत, जो शान और जो असली जमाल व कमाल था, उसे हमने पूरा नहीं किया यह हमारी बदनसीबी है। इसलिए हमें उसकी अजमतों को समझना और उसके असल हामिलों का किरदार अदा करना है ताकि पूरी इंसानियत को इसका फायदा पहुँचे और ''आदम की औलाद एक दूसरे के अंग हैं'' का हकीकी मतलब पूरा हो सके।

इन विचारों का इजहार मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर 'मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी' ने अपने सदारती खेताब में किया।आप ५ अक्टूबर की रात मरकजी जमीअत अहले हदीस हिंद के तत्वाधान में आयोजित २१वीं अल इंडिया हिफ्ज, तजवीद और तफसीर-ए-कुरआन करीम प्रतियोगिता के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

'मदारिस के जिम्मेदारों को संबोधित करते हुए अमीर साहब ने कहा कि हमने मदारिस के असल किरदार को पेश नहीं किया। अगर हम उनके अस्ल मकसद और रूह को थोड़ा भी कायम रख पाते, तो आज मदारिस को वो मुश्किलें नहीं झेलनी पड़तीं, जिनका सामना आज वकील और व्यापारी भी नहीं कर पा रहे हैं।

अगर हमारे अंदर थोड़ी भी रूहानियत बाकी होती, तो हम आगे बढ़कर कुरआन की खिदमत करते और आज ये हालात देखने को न मिलते। जब तक हमारे अध्यापक और अहले मदारिस इस कुरआन

को उसकी अजमतों के साथ नहीं अपनाएँगे, दुनिया में हमारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं।

अगर उम्मते इस्लामिया को बुलंदी हासिल करनी है, तो वह सिर्फ पवित्र कुरआन के जरिए ही मुमकिन है। हमारे असलाफ (पूर्वज) पवित्र कुरआन के हकीकी प्रचारक थे और हम उन्हीं के वारिस हैं। इसलिए हमें उन्हें अपना आदर्श बनाना है।

'नबी-ए-रहमत' कुरआन की बरकत से रहमतुल्लिल आलमीन (सारी दुनियाओं के लिए रहमत) बने। अगर हम भी साहिबे कुरआन बनकर उसके तकाजों को पूरा करने और इंसानियत के लिए लाभदायक बनने का इरादा कर लें, तो कोई वजह नहीं कि हमें भी बुलंद मकाम हासिल न हो।

हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, न अपने खानदान के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि 'पूरी इंसानियत का भलाई चाहने वाला और उसका सेवक' बनना है। इंसानियत को अपनी जात से फायदा पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य बनना चाहिए।

'मुकाबले में भाग लेने वाले छात्रों' से मुखातिब होते हुए अमीर साहब ने कहा आज आप जिस मुकाम पर हैं और आपकी जो इज़्जत-अफजाई हो रही है, वह कुरआन की निसबत से है। आप में से जिसकी पोजीशन आई है, सिर्फ वही कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाबी तो उसी वक़्त मिल गई थी जब आपने इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया था।

इस माद्दी (भौतिक) दौर में जो माँ अपने बेटे को कुरआन हिफ्ज करने भेजती है कि वह हाफिज बने, आलिम बने और उसकी तालीमात को फैलाने वाला बने वह माँ वाकई बहुत खुशनसीब है।

आप सब प्रतिभागी कामयाब हैं। मैं तमाम प्रतिभागियों, उनके माता-पिता, उनके मदरसों के मुहसिनीन (सहयोगियों) और हकम (न्याय मंडल)को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मेहनत और लगन से आपने यह मकाम हासिल किया है।

हम मरकजी जमीयत के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से आप सब प्रतिभागियों और हकम की शिरकत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और बारगाहे रब्बुल-इज़्जत में दुआ करते हैं कि वह हमें कुरआन करीम की तालीमात पर अमल करने और जैसा हक है वैसी उसकी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।'मरकजी जमीअत अहले हदीस हिंद' के 'नाजिमे उमूमी मौलाना मोहम्मद हारून सनाबली' ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संबोधित करते हुए कहा कि

आपका रिश्ता कुरआन करीम से है, और जिसने भी अपना रिश्ता इस किताब से जोड़ लिया, अल्लाह तआला ने उसे मुकर्रम (सम्मानित) और मुअज्जज (प्रतिष्ठित) बना दिया।'यह उसका ऐसा एजाज (चमत्कार) है जो सबके लिए साबितशुदा हकीकत है। लेकिन अफसोस कि जो उम्मत इसकी वाहिद प्रचारक थी, वह आज इसकी तालीमात को पीछे डालकर अपने मकाम से गिरती जा रही है और लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रही है। हमें इसकी निस्बत को मजबूत कर फिर से सरफराज (सम्मानित) होना है।''

(शेष पृष्ठ ११ पर)

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म(पाँचवीं क़िस्त)

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी

मज़लूमों की मदद का पहला इतिहासिक मुआहिदाः हलफुल फजूल मुआहिदा (संधि) मजलूमों की सहायता करने का पहला इतिहासिक घोषणा पत्र है जो कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश किया गया।

अल्लामा फीरोज़ाबादी हलफुल फजूल संधि का नाम रखने की वजह बयान करते हुए लिखते हैंः हलफुल फजूल संधि जीकादा हिजरी से पहले ५८६ ई० अरब तारीख शान्ति की स्थापना, मूल मानव अधिकार, खास तौर से मजलूमों और बेकसों की सहायता का पहला इतिहासिक संधि है जिस में शामिल होने वाले स्वयंसेवक एकजुट होकर अपने शहर मक्का में जालिमों का हाथ रोकते और मजलूमों को उनका हक़ दिलाते। (अल कामूसुल मुहीत ४/३१)

बयान किया जाता है कि बनू जुबैदा क़बीला का एक शख्स मक्का में तिजारत के मकसद से कुछ माल लाया जिस को आस बिन वायल ने खरीद लिया लेकिन उसकी कीमत अदा न की वह मदद की गर्ज़ से मुद्दई बन कर कुरैश के कबीलों में फरयाद लेकर गया मगर आस बिन वायल के प्रभाव की वजह से उसकी मदद की किसी में हिम्मत न होती थी। इस बेबसी के नतीजे में हलफुल फजूल संधि की स्थापना हुई।

इस संधि की इस लिये असाधारण अहमियत थी कि उस वक़्त अरब द्वीप में कोई सरकार काइम नहीं थी लॉ एण्ड ऑडर के लिये कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। अरब के विभिन्न कबीलों के बीच बड़ा पछपात था और पछपात की वजह से अपने खानदान का तहफ्फुज़ पाया जाता था लेकिन अगर कोई कमजोर खानदान हो या अजनबी लोग हों तो उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता था। इसमें मुसाफ़िर, गरीब, बाहर के व्यवपारी, हरम के जाइरीन और यात्री सब शामिल थे। इन हालात में यह संधि लॉ एण्ड आर्डर को काइम रखने और कमजोरों को ताक़तवरों के अत्याचार से बचाने की एक संगठित कोशिश थी।

इस की अहमियत इस लिये भी थी कि इस संधि में कुरैश के सभी कबीले शामिल थे। अगर कुछ लोग या कोई कम तादाद और कमज़ोर क़बीले इस काम को लेकर उठता तो इसका कोई ख़ास फायदा नहीं होता लेकिन इतनी बड़ी तादाद और मक्का के ताकतवर खानदान की उपेक्षा कर देना कोई आसान बात नहीं थी इस लिये इस संधि की बड़ी अहमियत थी और इसी लिये यह संधि अराजकता के वातावरण में अम्न व अमान और न्याय स्थापित रखने की एक सकारात्मक और प्रभावी कोशिश साबित हुई। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस में स्वयं शरीक थे और इस्लाम के वर्चस्व के बाद भी फ़रमाया करते थे कि अब भी मुझे इसकी तरफ दावत दी जाये तो मैं इसे कुबूल करूंगा (फतहुल बारी ४/४७३) और बाज़ रिवायतों में है कि मुझे इस मुआहिदे से गायब रहना पसन्द नहीं अगर्चे इसके बदले मुझे लाल ऊंटनियाँ मिल जायें। (अल मोतसर मिनल मुख्तसर २/३७५) चुनान्चे मानवता के महा उपकारक की प्रेरणा और प्रयासों के नतीजे में बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तलिब और जोहरा खानदान ने एकजुट होकर संधि किया कि चाहे मक्का के वासी हों या अजनबी हों या गुलाम, मक्का की सीमाओं के अन्दर हर प्रकार के अत्याचार और अन्याय से सुरक्षित रखा जायेगा और जालिमों के हाथों उनकी छतिपूति की जायेगी। आप इस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे इसकी वजह से कमजोरों और मजलूमों को बड़ी हद तक अम्न व अमान नसीब हो गया। **(जारी)**

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

OCTOBER 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

खुशख़बरी खुशखबरी

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का

कलैन्डर 2026

आकर्षक, खुशनुमा, हर सफा इस्लामी तालीमात और कुरआनी आयात से सुसज्जित और अहम मालूमात से पुर कलेन्डर के लिए अपना आर्डर बुक करायें।

मकतबा तर्जुमान

Ahle Hadees Manzil 4116, Urdu Bazar
Jama Masjid, Delhi-110006

Paytm UPI

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

9899152690@ptaxis

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28